राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :—582 / 2024

ललित चौधरी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव एवं अध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, तिलक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर।
2. संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जोधपुर।
3. जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बालोतरा।
4. राजेन्द्र सिंह नरूका, सहायक प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति, बाली, जिला पाली।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी सहायक प्रोग्रामर के पद पर जिला श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जोधपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बालोतरा में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या—4 राजेन्द्र सिंह नरूका को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी को पूर्व में वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक 23.12.2022 के द्वारा पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को अल्प समय में ही स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया है कि वर्तमान स्थान पर भी रिक्त पद

है, परन्तु फिर भी अपीलार्थी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि पूर्व में स्थानांतरण आदेश दिनांक 23.12.2022 को पारित किया गया था। वर्तमान स्थानांतरण आदेश 14 माह बाद जारी किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात उसका स्थानांतरण किया गया है। यह नहीं माना जा सकता है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because*

the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)